न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील निर्वाचन सं0 21/2020

1. चन्द्रभान पुत्र रामचरन
2. मुन्नी देवी पत्नी चन्द्रभान
3. कृष्ण कुमार पुत्र चन्द्रभान
4. हरीश पुत्र चन्द्रभान
5. दीपक पुत्र चन्द्रभान
6. राजेश पुत्र चन्द्रभान
7. सपना पत्नी राजेश
8. कुसुमलता पत्नी राजेश

जातियान ब्राहमण, निवासीयान वार्ड संख्या 3 कस्बा बयाना जिला भरतपुर (राज0)

9. महेश पुत्र रामजीलाल
10. किरोडी पुत्र रामजीलाल
11. गिरधारी पुत्र रामजीलाल
12. मंजू पत्नी महेश
13. मीरा पत्नी रामजीलाल

जातियान नाई, निवासीयान वार्ड संख्या 3 कस्बा बयाना जिला भरतपुर (राज0)

14. दीपेन्द्र पुत्र कैलाश
15. सीमा पत्नी दीपेन्द्र

जातियान ब्राहम्ण, निवासीयान वार्ड संख्या 1 कस्बा बयाना जिला भरतपुर (राज0)

.... अपीलांटस

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम) बयाना

.... रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ आदेश दिनांक.......................
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम)
बयाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.18 15:32:51 IST
Reason: SelfAttested

<u>**निर्णय**</u> **दिंनांक : 27.11.2020**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना जिला भरतपुर दिनांक .... के पेश की है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट्स संख्या 1 लगायत 13 वार्ड नं0 3 कस्बा बयाना में निवास करते हैं, व अपीलान्ट्स 14 व 15 वार्ड संख्या 01 कस्बा बयाना के निवासी है। अपीलान्ट्स सं0 01 लगायत 08 को वार्ड न0 03 से वार्ड न0 07 में एवम् अपीलान्ट्स 9 लगायत 15 को वार्ड न0 10 कस्बा बयाना की मतदाता सूची में नाम गलत रूप से जोड दिया गया है। अपीलान्ट्स न0 01 लगायत 08 ने वार्ड न0 07 से वार्ड न0 03 में तथा अपीलान्ट्स 9 लगायत 13 ने वार्ड संख्या 10 से वार्ड संख्या 03 में एवम् अपीलान्ट्स संख्या 14 व 15 ने वार्ड संख्या 10 से वार्ड संख्या 01 में शिफ्ट किये जाने हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी बयाना के यहां आवेदन प्रस्तुत किये गये थे, परन्तु उन्होंने अपने मौखिक आदेश से आवेदनों को निरस्त कर दिया। अपीलान्ट्स संख्या 01 लगायत 08 का नाम वार्ड न0 07 से वार्ड न0 03 तथा अपीलान्ट्स संख्या 09 लगायत 13 का नाम वार्ड संख्या 10 से 03 में एवम् अपीलान्ट्स संख्या 14 व 15 का नाम वार्ड संख्या 10 से वार्ड संख्या 01 कस्बा बयाना में शिफ्ट करने की प्रार्थना की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना से तहत पत्रावली व टिप्पणी तलव की गई, टिप्पणी संलग्न मिसिल है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) बयाना ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि अपीलान्ट्स के द्वारा उनकी अपील में वर्णित तथ्यों से सम्बन्धित कोई भी आवेदन उनके कार्यालय में प्रस्तुत ही नहीं किया गया है, अपीलान्ट्स द्वारा लगाये गए आरोप मनगढन्त व कपोल कल्पित हैं।

पत्रावलियों का अवलोकन किया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना से प्राप्त टिप्पणी/जबाव पर गौर किया। अपीलान्ट्स संख्या 01 लगायत 08 का नाम वार्ड न0 7 से वार्ड न0 3 तथा अपीलान्ट्स संख्या 9 लगायत 13 का नाम वार्ड संख्या 10 से 03 में एवम् अपीलान्ट्स संख्या 14 व 15 का नाम वार्ड संख्या 10 से वार्ड संख्या 01 कस्बा बयाना के द्वारा अपने नाम जुड़वाने हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.),

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.18 15:32:51 IST
Reason: SelfAttested

बयाना के यहां प्रस्तुत किये गए आवेदनों की कोई भी प्रमाणित प्रति अपनी अपील के साथ संलग्न नहीं की गई है। अपीलान्ट्स निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना के किस आदेश के विरूद्ध अपील लेकर आए हैं, का भी कोई उल्लेख उनकी अपील में वर्णित नहीं है, और न उक्त आदेश की कोई प्रमाणित प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत ही नहीं किया है। अपील केवल किसी तहत न्यायालय के आदेश के विरूद्ध ही प्रस्तुत की जा सकती है। अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 27.11.2020 को लिखा जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.18 15:32:51 IST
Reason: SelfAttested